Letter No.-NGT-131 /81-7-2020

From,

Bharat Prasad,
Under Secretary,
Govt. Of U.P.

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Environment, Forest & Climate Change Section-7 Lucknow: Dated :27 February, 2020

Subject:-Compliance Report of Hon'ble NGT order dated 28.11.2019 passed in O.A. No. 150/2019 in the matter of Sandeep Kharb Vs. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors.

Sir,

In compliance to the orders passed by this Hon'ble Tribunal dated 28.11.2019 passed in O.A. No. 150/2019 in the matter of Sandeep Kharb Vs Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. the compliance report of Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change, Govt. of U.P. in the above mentioned matter is enclosed here with and is being filed before this Hon'ble Tribunal.

Encl: As above.

Yours Sincerely,

(Bharat Prasad)
Under Secretary.

Compliance report of Hon'able NGT order dated 28.11.2019 in OA Original Application No. 150/2019 (I.A. No. 66/2019, I.A. No. 410/2019, I.A. No.62/2019 & I.A. No.533/2019) on behalf of Principal Secretary, Department of Environment, Forest & Climate Change, Government of Uttar Pradesh.

1. That the case was listed on 28.11.2019 wherein the Hon'ble Tribunal passed an order; the operative part of the order is reproduced below:

..."Further, report may be filed by the Principal Secretary, Environment, U.P. after coordination with the concerned authorities within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in."

2. In compliance to the direrction of Hon'ble NGT the undersigned has reviewed the matter and has issued directions to District Magistrate, Shamli, Director, Geology & Mining, Uttar Pradesh and Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board for ensuring strict compliance of the orders of Hon'ble NGT and conditions of Environmental Clearance issued by SEIAA, U.P. Copy of issued letter dated 25.02.2020 in this regard is being filed herewith and marked as **Annexure no. - 1.**

3. In compliance to the order dated 03.05.2019, District Magistrate, Shamli passed an order vide letter no. 2681/Kha.Vi.-2019 dated: 14.5.2019 to debit Rs. 13,25,000/- (Rs. Thirteen Lakh Twenty Five Thousand Only) in favour of State Government from the security money deposited by the Project Proponent. Copy of letter of District Magistrate, Shamli dated 14.05.2019 is being filed herewith and marked as **Annexure no. - 2.**

4. In compliance to the order dated 03.05.2019, U.P. Pollution Control Board has imposed the Environmental Compensation of Rs. 7,20,000/- (Rs. Seven Lakh Twenty Thousand Only) at the rate of Rs. 10,000/- per day against the Project Proponent M/s M.M. Traders, Village-Mamaur

Ahatmal Sabik, Tehsil-Kairana, District Shamli vide letter dated 13.08.2019 on the basis of Guidelines prepared by Central Pollution Control Board, Delhi for non-compliance of environmental conditions.

Thus, the cumulative Environmental Compensation of total Rs. 20,45,000/ (13,25,000 + 7,20,000) (Rs. Twenty Lakh Forty Five Thousand Only) has been imposed for noncompliance of granted Environment Clearance conditions and for not seeking the required consent from the State Pollution Control Board under the notified provisions.

It is further submitted that the project proponent vide his letter dated: 10.12.2019 has deposited an amount of Rs. 7,20,000 to UPPCB as environment compensation for non-compliance of EC conditions. Copy of letter dated 10.12.2019 is being filed herewith and marked as **Annexure no. -3**.

5. District Magistrate, Shamli vide letter no. 3501 /Kha. Vi.-2020 dated: 07.02.2020 has informed that the temporary bridge and all the encroachments have been removed and the site has been cleared from all the remains. District Magistrate, Shamli has explained in detail the criteria of assessing the environmental damage and calculation of the environmental compensation due to violation of EC conditions. Copy of District Magistrate, Shamli letter no. 3501 /Kha. Vi.-2020 dated: 07.02.2020 is being filed herewith and marked as **Annexure no. - 4.**

6. That the State Environment Impact Assessment Authority, UP (SEIAA, UP) considered the matter for allowing the mining activity in the 348th Meeting held on 18.02.2020 wherein, SEIAA decided that the project proponent shall also submit a bank guarantee of Rs. 20,45,000/- equivalent to the amount of cumulative Environmental Compensation of total Rs. 20,45,000/- (13,25,000 + 7,20,000) (Rs. Twenty Lakh Forty Five

Thousand Only) earlier imposed by District Magistrate, Shamli and UPPCB for noncompliance of Environment Clearance conditions within 15 days to the SPCB. The bank guarantee shall be released after successful implementation of the EMP. Copy of minutes dated 18.02.2020 is being filed herewith and marked as **Annexure no. - 5.**

7. That it is submitted that the State is committed towards prevention of illegal mining and for ensuring mining activity strictly as per the conditions of Environment Clearance.

(Sudhir Garg)
Principal Secretary

Annexure I

संख्या–N.G.T.-130 /81–7–2020

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शामली, उ0प्र0।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु–7 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2020

विषयः–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या–150/2019 संदीप खर्ब बनाम मिनिस्ट्री आफ इन्वायरमेट फारेस्ट एण्ड क्लाइमेट चेन्ज व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 28.11.2019 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ0ए0 संख्या–150/2019 संदीप खर्ब बनाम मिनिस्ट्री आफ इन्वायरमेट फारेस्ट एण्ड क्लाइमेट चैन्ज व अन्य मे दिनांक 28.11.2019 को आदेश पारित किया गया, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैः–

..."***Further, report may be filed by the Principal Secretary, Environment, U.P. after coordination with the concerned authorities within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in.***"

मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 28.11.2019 एवं आपके कार्यालय के पत्र संख्या–3501/ख0वि0–2020, दिनांक 07.02.2020 के संदर्भ मे प्रश्नगत प्रकरण की समीक्षा की गयी, जिसमे यह पाया गया है किः–

1. पट्टा धारक के प्रस्ताव Environment Clerance for ordinary Sand Mine On Yamuna River located at Gata No.- 2/9, 2/10, 2/11, 3, 4 mi, 5/2, 2/4, 19/3, 19/8, 19/2, 22, 9/4, 19/7, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 23/2, at Village-Mamaur Ahatmal Sabik, Tehsil-Kairana, District- Shamli, U.P., M/s M. M: Traders. (Lease area. 15.818ha.) को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उ0प्र0 द्वारा ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) मे दिये गये प्राविधानो के अधीन दिनांक 26.12.2018 को कतिपय शर्तो के साथ प्रश्नगत परियोजना को पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्रदान की गयी।
2. निर्गत पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स मे अधिरोपित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रू0 7,20,000/– का पर्यावरण क्षतिपूर्ति दण्ड आरोपित किया गया है तथा आपके द्वारा धरोहर राशि में से रू0 13,25,000/– की धनराशि हर्जाने के रूप में जब्त की गयी है, इस प्रकार कुल समेकित धनराशि रू0 20,45,000/– पर्यावरणीय शर्तो का अनुपालन न किये जाने के एवज मे दंड स्वरूप अधिरोपित किया गया है।
3. आपके पत्र दिनांक 07.02.2020 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत खनन क्षेत्र को पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स निर्गत होने के उपरान्त दिनांक 29.12.2018 को खनन क्षेत्र की नियमानुसार सीमांकन करा लिया गया है तथा

प्रश्नगत खनन क्षेत्र में जो अस्थायी पुल व अन्य अतिकमण थे, उन्हे हटवा दिया गया है एवं मौके पर पुल का कोई भी अवशेष नहीं है। पट्टा धारक द्वारा प्रश्नगत खनन क्षेत्र हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कन्सेन्ट प्राप्त नही किया गया है।

4. प्रश्नगत् प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 18.02.2019 को आहूत अपनी बैठक में पर्यावरण सहमति पत्र में उल्लिखित शर्तों का पट्टाधारक द्वारा अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति दण्ड धनराशि रू0 20,45,000/– के बराबर की ही बैंक गारण्टी जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2– अतः प्रकरण में ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अधीन निर्गत पर्यावरणीय सहमति मे उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव

संख्या–N.G.T.-130(1)/81–7–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

Annexure- 2

कार्यालय जिलाधिकारी शामली।

संख्याः- 2181/ख0वि0-2019, दिनांक 14-5-2019

आदेश

जनपद शामली की तहसील कैराना के ग्राम गगौर अहतमाल सायिक के गाटा संख्या-2/9, 2/10, 2/11, 3, 4मि, 5/2, 2/4, 19/3, 19/8, 19/2, 22, 9/4, 19/7, 21/1, 21/2, 21/3, 21/6, 23/2 क्षे0 15.810 हे0 का ई-निविदा/सह-ई-नीलामी के माध्यम से 05 वर्ष हेतु खनन पट्टा मैसर्स एम0एम0 ट्रैडर्स, के नाम से दिनांक 10-4-2018 को सर्वोच्च बोलीदाता होने के कारण सहमति पत्र जारी किया गया था। तदपरान्त समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त पट्टाधारक के पक्ष में अनुबन्ध पत्र दिनांक 15.1.2019 में जारी किया गया था। उसके उपरान्त मैसर्स एम0एम0 ट्रैडर्स के द्वारा खनन कार्य संचालित कर दिया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश दिनांक 14-02-2019 के क्रम में मैसर्स एम0एम0 ट्रैडर्स को नोटिस संख्या-2482/ख0वि0-2019, दिनांक 15-03-2019 जो रजिस्ट्रर्ड डाक से भेजा गया। नोटिस प्राप्ति के उपरान्त मैसर्स एम0एम0 ट्रैडर्स के प्रतिनिधि/प्रो0 न तो स्वयं उपस्थित हुये न ही नोटिस का कोई जवाब अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यानि नोटिस दिनांकित 15-03-2019 में दिये गये कथन पट्टाधारक को स्वीकार है।

उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के यथा संशोधन असाधारण गजट, 14 अगस्त, 2017 के नियम 59 (3)यदि पट्टाधारक नियम 35 के उपबन्ध का उल्लंघन करता है (सीमा चिन्ह/पिलर्स का उचित रख रखाव न करना आदि) तो प्रत्येक चूक के लिये प्रतिदिन पच्चीस हजार रूपये की दर से शास्ति सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उदग्रहित की जायेगी। ऐसी उदग्रहित शास्ति को जमा करने पर चूक की दशा में, उक्त धनराशि की कटौती सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, उक्त खनन पट्टा के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से करेगा।

पट्टाधारक मैसर्स एम0एम0 ट्रैडर्स द्वारा नोटिस दिनांकित 15-03-2019 का जवाब न दिये जाने के कारण पट्टाधारक द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि अंकन 59,91,068/- रूपये में से दिनांक 17-01-2019 से 10-03-2019 (संयुक्त जांच के समय तक) अंकन 13,25,000/- रूपये कटौती करते हुये राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये जाते है। पट्टाधारक पुनः सीमांकन कराकर नये पिलर्स लगवाना सुनिश्चित करे। तदपरान्त ही खनन कार्य संचालित करें, अन्यथा की दशा में पट्टाधारक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

NOTARY
R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow, U.P. India
Regd.31/64/2000
GOVT. OF UTTAR PRADESH

(अखिलेश सिंह)
जिलाधिकारी,
शामली।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
2- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), शामली।
3- मैसर्स एम0एम0 ट्रैडर्स, प्रो0 श्री मनजीत कुमार पुत्र वेदप्रकाश नि0 ग्राम मंगलौरा कदीम करनाल को सूचनार्थ।

जिलाधिकारी,
शामली।

SIGNATURE ATTESTED

[redacted]

21/11/19 R.C. VERMA
NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U. P. India
Regd. 31/64/2000

Manjeet kumar

ANNEXURE-3

दिनांक - 10-12-2019

सेवा में
श्रीमान मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त - 3
टी०सी० 12 बी, विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के सम्बन्ध में

महोदय,

आपके पत्रांक संख्या M-39964/सी-3 NOC-577 मु०नगर दिनांक 13-08-2019 द्वारा प्रार्थी की फर्म के विरुद्ध Rs-7,20,000=00 (सात लाख बीस हजार) का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। जिसको प्रार्थी की फर्म द्वारा आज दिनांक 10-12-2019 को यूनियन बैंक आफ इंडिया के खाता संख्या - 7015020100002104 विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ में अपनी फर्म के खाता नं० 38486516 स्टेट बैंक आफ इंडिया से R.T.G.S के माध्यम से जमा करा दिया गया है जिसका O.T.R नं० - SBINR52019120000 44994 है। महोदय को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचना प्रेषित है।

NOTARY
R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow, U.P. India
Regd. 31/64/2000
UTTAR PRADESH

✓ प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी मु०नगर।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
उत्तर प्रदेश

प्रार्थी Manjeet Kumar.
मंजीत कुमार प्रोपराइटर
एम०एम० ट्रेडर्स
(खान पट्टाधारक)
ग्राम- मामौर अलमाल सोविद
तहसील कैराना जिला शामली
उत्तर प्रदेश

R.O. [illegible]
Received
10-12-19
कार्यालय ... नियन्त्रण बोर्ड

SIGNATURE ATTESTED
[signature] 10/12/19
R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA
Regd. 31/64/2000

Manjeet Kumar

Annexure -4

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
शामली।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0,
विनीत खण्ड–1, गोमती नगर लखनऊ।

संख्या–350। /ख0वि0–2020, दिनांक 07 –02–2020

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–150/2019 संदीप खर्ब बनाम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेन्ट, फारेस्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.11.2019 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्या–40112–846 दिनांक 29–01–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत उक्त प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.11.2019 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत है :–

"Further, report may be filed by the Principal Secretary, Environment, U.P, after coordination with the concerned authorities within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in."

प्रकरण में प्रमुख सचिव पर्यावरण उ0प्र0 शासन के स्तर से माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली में अनुपालन में आख्या दाखिल किये जाने की कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए विलम्बतम 07 दिन अन्दर प्राथमिकता के आधार पर वांछित बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। ताकि ससमय उक्त अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 की निर्धारित ई–मेल पर प्रेषित की जा सके।

सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में जनपद शामली से प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित वांछित बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है :–

बिन्दु संख्या–1 प्रश्नगत खनन क्षेत्र ग्राम मामौर अहतमाल साबिक तहसील कैराना जिला शामली के गाटा सं0 2/9, 2/10 ,2/11, 3, 4मि, 5/2, 2/4, 19/3, 19/8, 19/2, 22, 9/4, 19/7, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 23/2 क्षे0 15.818 है0 के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सहमति दिनांक 26–12–2018 में जारी की गयी है तथा दिनांक 29–12–2018 में खनन क्षेत्र की नियमानुसार सीमांकन कराया गया है।

बिन्दु संख्या–2 प्रश्नगत खनन क्षेत्र में जो अस्थायी पुल व अन्य अतिक्रमण थे उन्हे हटवा दिया गया है एवं मौके पर पुल का कोई भी अवशेष नही है।

बिन्दु संख्या–3 इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 14–02–2019 के क्रम में खनन क्षेत्र मामौर अहतमाल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 10–03–2019 को किया गया था उस समय सीमांकन के पिलर्स मौके पर मौजूद नही थे। इस कारण खनन पट्टा निष्पादन करने के दिनांक 17–01–2019 से दिनांक 10–03–2019 तक कुल 53 दिन का (उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के यथासंशोधन असाधारण गजट) दिनांक 14 अगस्त 2017 के नियम 59(3) के अनुसार 25000/– रूपये प्रतिदिन की दर से 13,25,000/–रूपये हर्जाना आरोपित किया गया है। मुख्य पर्यावरणीय अधिकारी वृत्त–3 लखनऊ के द्वारा जारी आदेश दिनांक 13–08–2019 के क्रम में 72 दिन का हर्जाना 10,000/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 7,20,000/– रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु आरोपित किया गया है।

बिन्दु संख्या–4 अधिरोपित कुल 20.45 लाख रूपये की गणना निम्नवत् है :–

- 25000/–प्रतिदिन X 53 दिन = 13,25,000/– रूपये (उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के यथासंशोधन असाधारण गजट) दिनांक 14 अगस्त 2017 के नियम 59(3) के अनुसार ।
- 10,000/– प्रतिदिन X 72 दिन = 7,20,000/– रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु मुख्य पर्यावरणीय अधिकारी वृत्त–3 लखनऊ के द्वारा जारी आदेश दिनांक 13–08–2019 के अनुसार।

बिन्दु संख्या–5 पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत खनन क्षेत्र हेतु UPPCB से Consent प्राप्त नही किया गया है।

उक्त वांछित बिन्दुवार वांछित सूचना सेवा में सादर प्रेषित है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अखिलेश सिंह)
जिलाधिकारी,
शामली।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
2– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, शामली /सहारनपुर।

जिलाधिकारी,
शामली।

Scanned by CamScanner

26. **Building Stone (Khandas & Gitti, Boulder) Mining at Khanda No.-29, Gata No.-03, Village-Dunara, District- Jhansi., M/s Krishna Agency, (Area-2.0 ha). File No. 5300/Proposal No. SIA/UP/MIN/47953/2019**

SEIAA agreed with the recommendations of the SEAC to close the file as the project proponent did not appear and re-open only after submission of online request on prescribed portal.

With the permission of the chairman

1. **Sand Mine on Yamuna River at Gata No.-2/9, 2/10, 2/11, 3, 4mi, 5/2, 2/4, 19/3, 19/8, 19/2, 22, 9/4, 19/7,21/1,21/2,21/3,21/5,23/2, at Village-Mamaur Ahatmal Sabik, Tehsil-Kairana, District-Shamli., M/s M.M. Traders (Leased Area- 15.818). File No. 4416/Proposal No. SIA/UP/MIN/75917/2018**

SEIAA reviewed the case and noted that the above project was taken in its 335th Meeting held on 09/01/2020 in which SEIAA gone through the recommendation of SEAC Meeting dated 20/12/2019 and opined to agree with the same. The SEIAA also gone through the letter of District Magistrate, Shamli, dated ~~01.12.2019~~ 4.2.20. SEIAA decided that the project proponent shall also submit a bank guarantee of Rs. 20,45,000/- equivalent to the amount of cumulative Environmental Compensation of total Rs. 20,45,000/- (13,25,000 + 7,20,000) (Rs. Twenty Lakh Forty Five Thousand Only) imposed by District Magistrate, Shamli and UPPCB for noncompliance of granted Environment Clearance conditions within 15 days to the SPCB which will be co-terminus with EC as a guarantee against any further non-compliance of any type of EC conditions. The bank guarantee shall be released after successful implementation of the EMP, and after the recommendations of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC and approval of the regulatory authority.

20.02.2020	20/02/2020	RPSingh 20/02/2020
(Shri Ashish Tiwari, IFS)	(Dr. (Smt.) Madhu Bhardwaj)	(Prof. Rana Pratap Singh)
Member-Secretary	Member	Chairman
SEIAA	SEIAA	SEIAA